



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012024-251461
CG-DL-E-18012024-251461

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2024/पौष 28, 1945

No. 243]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2024/PAUSHA 28, 1945

पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2024

का.आ. 252(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 49 (ज) की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेपाल से रेड सैंडर्स के प्रत्यावर्तन के लिए उक्त अधिनियम के अध्याय 5ख के प्रयोजनों के लिए प्रवेश और निकासी के लिए निम्नलिखित को पत्तन के रूप में अभिहित करती है और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तारीख 8 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3547(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,— क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“13. रक्सौल ;

14. पानीटंकी ;

15. जोगवनी ;

17. सनौली ;

18. नेपालगंज ;
19. बनबसा ।”।

[फा. सं. डब्ल्यू एल-1/11/2023 डब्ल्यू एल]

बिभाष रंजन, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) और निदेशक, वन्य जीवन संरक्षण

टिप्पण :मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 3547(अ), तारीख 8 अगस्त, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 49H of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby designates the following as the ports of entry and exit for the purposes of Chapter VB of the said Act for repatriation of red sanders from Nepal and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 3547(E) dated 8th August 2023, namely:—

In the said notification,—after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

- “13. Ruxaul;
14. Panitanki;
15. Jogbani;
16. Sanauli;
17. Nepalgunj;
18. Banbasa.”.

[F. No. WL-1/11/2023-WL]

BIVASH RANJAN, Addl. Director General of Forests (WL) and Director, Wild Life Preservation

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 3547(E) dated 8th August, 2023.